मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ0 16–498/11/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 22-6-11

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय--व्यक्ति विशेष के लिये शस्त्र एवं गोला बारूद नीति।
संदर्भ–इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2011

–00–

राज्य शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की कंडिका 8-1 के (ख) में कंडिका 7 एवं 7.1 में दर्शित व्यक्तियों के अखिल भारतीय वैधता के नवीनीकरण के प्रस्ताव राज्य शासन को आगामी नवीनीकरण हेतु अग्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

2-- राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के अखिल भारतीय वैधता के शस्त्र लायसेंस समय पर नवीनीकरण किये जा सकें, को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों के शस्त्र नवीनीकरण किये जाने के अधिकार जिला दण्डाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये जाते हैं :--

1. माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण एवं सांसद तथा भूतपूर्व सांसद।
2. राज्य शासन के माननीय मंत्रीगण तथा विधायक एवं भूतपूर्व विधायक
3. अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी।
4. सेना एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्नल एवं उनके समकक्ष एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी।
5. केन्द्र शासन में कहीं भी सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारी।
6. उन खिलाड़ियों का जो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग लिया हो या ख्याति प्राप्त निशानेबाज।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22.6.11
(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म0प्र0शासन,गृह विभाग

पृ0क्र0 एफ0 16–498/11/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 22-6-11

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

22.6.11
अपर सचिव
म0प्र0शासन,गृह विभाग